न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी साँवर मल वर्मा, आई0ए0एस0)

अपील संख्या :–17/20 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956)(RCMS No.2020/00017)

रामकरण पुत्र श्री नत्थी जाति जाट निवासी ग्राम बरखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती शिवदेयी पत्नी बच्चूसिंह जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन थाना सूरौठ जिला भरतपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत बरखेडा पंचायत समिति बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी बयाना दिनांक 26.12.2019

उपस्थितिः–

1. श्री महाराजसिंह वकील अपीलान्ट।
2. श्रीमोहनसिंह राना वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः–12.7.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 26.12.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पो0 शिवदेयी ने तहत अदालत के समक्ष एक अपील सरपंच ग्राम पंचायत बरखेडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 385 दिनांक 15.4.1972 के खिलाफ प्रस्तुत कर यह इस्तदुआ की गई कि शिवदेयी स्व0 प्रेम पुत्र नत्थी जाति जाट निवासी बरखेडा तहसील बयाना की पुत्री है किन्तु रामकरण/अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत से साज कर रैस्पो0 शिवदेयी के पिता स्व0 प्रेम को बिना औलाद दिखाते हुये व शिवदेयी की मां रामजती को अपने आपको बैठा दिखाकर गलत सजरा पेश कर उक्त दाखिल खारिज शिवदेयी की आराजीयात का अपने नाम करा लिया है। नामान्तरकरण संख्या 385 पटवारी हल्का द्वारा व ग्राम पंचायत बरखेडा द्वारा फर्जी सजरा के आधार पर दिनांक 15.4.1972

12.7.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

को दर्ज किया है इसलिए खारिज किया जावे। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2019 पारित कर अपील स्वीकार कर नामा0 385 खारिज कर दिया व तहसीलदार बयाना को वारिसान की जांच कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर उभयपक्ष को सुन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 385 ग्राम बरखेडा तहसील बयाना अपीलान्ट के नाम ग्राम पंचायत बरखेडा द्वारा अपीलान्ट के नाम उसके बडे भाई प्रेम के मरणोपरान्त भरकर स्वीकृत किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तहत अदालत ने बिना किसी आधार के अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। यह कि स्व0 प्रेम की मृत्यु निःसन्तान व पत्नी विहीन हुई है उसका अपीलान्ट सगा छोटा भाई है और एक मात्र उत्तराधिकारी है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के साथ संलग्न सूची में 11 वर्ग 4 प्रविष्ठि का उत्तराधिकारी है इसलिए उक्त नामान्तरकरण उसके नाम सही स्वीकृत किया है। तथाकथित उत्तरवादी संख्या 1 मृतक प्रेम की पुत्री नहीं है और ना ही वारिस है इसलिए तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश काबिले मंसूखी है। यह कि संबधित आदेश में बार्ड पंचान द्वारा इस तथ्य की पूर्णतया मजमे आम में पुष्टि की गई है कि स्व0 प्रेम की और अपीलार्थी के नाम खानन्दाज हो गयी है। मृतक की आराजी पर अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त है। इस प्रकार उक्त संक्षिप्त कार्यवाही करने के बाद ग्राम पंचायत विवादित नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज किया है। तहत अदालत ने उत्तरवादी संख्या 1 को गलत रूप से वारिस मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह कि प्रथम तहत अदालत के आदेश दिनांक 15.4.1972 के विरूद्ध यह अपील 17.5.2010 के आस पास प्रस्तुत की है जो लगभग 38 साल बाद प्रस्तुत किये जाने से अवधि बाहर है। तहत अदालत को पहले मियाद बिन्दु को तय करना चाहिऐ था। मियाद बिन्दु पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत नही है। यह कि अपीलान्ट की ओर से तहत अदालत के समक्ष उनके स्वयं के मान्यता के आदेश 9 नियम 5 सी पी

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सी का प्रार्थना पत्र उनके समक्ष विचारणीय रहा है। उसे अपीलान्ट को सुने बिना खारिज कर दिया है और उनके समक्ष विचारणीय अपील के बारे में सम्पूर्ण जानकार होना मानते हुए उत्तरवादी संख्या 1 के अभिवक्ता को एकतरफा में सुनकर विवादित आदेश पारित कर दिया है, जो कतई गलत है, विधि विरूद्ध है व न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। यह कि उत्तरवादी संख्या 1 कभी ग्राम बरखेडा में नहीं रही और ना ही वह स्व0 प्रेम के नुत्फे से पैदा हुई है इसलिऐ उसका कोई हक विरासत मृतक प्रेम के द्वारा छोडी जायदाद कृषि भूमि में प्राप्त नही होते हैं। तहत अदालत ने बिना किसी आधार के प्रकरण को तहसीलदार के लिये रिमाण्ड किये जाने में कानूनी भूल की है। यह कि प्रथम दृष्टया प्रेम की पुत्री होने के संबध में उत्तरवादी संख्या 1 ने कोई साक्ष्य मौखिक अथवा दस्तावेजी प्रस्तुत नही की है तथा न ही कोई अपीलान्ट की वंशावली के प्रतिकूल साक्ष्य प्रस्तुत की है इसलिऐ यह आदेश काबिले मंसूखी है। यह कि उत्तराधिकार का यह विषय नामान्तरकरण की कार्यवाही में तय नही किया जा सकता है तथा ना ही राजस्व न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है यह केवल सिविल न्यायालय में ही तय किया जा सकता है। इस प्रकार इतने लम्बे समय बाद उत्तरवादी संख्या 1 के हक में अपील स्वीकार करते हुये खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः राजीनामे के आधार पर अपील निस्तारित की जावे। इस सम्बन्ध में वकील अपीलाण्ट ने आरआरडी 1993 पृष्ठ संख्या 821 व आरबीजे 1994 पेज–134 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्वान्त का हवाला दिया जिसके अनुसार न्यायालय में हुए राजीनामे के आधार पर प्रकरण निर्णित किये जाने को उचित माना गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्डाधिकारी बयाना का आदेश दिनांक 26.12.2019 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के हक में स्वीकृत नामान्तरकरण आदेश दिनांक 15.4.1972 बहाल किया जावे।

अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नही है क्योकिं उक्त निर्णय अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत हुए दस्तावेजात व साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया है। यद्यपि अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील में उभय पक्षकारान द्वारा दिनांक 5–1–2021 को इस आशय का राजीनामा पेश किया गया है कि

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 385 दिनांक 15–4–72 अपीलार्थी के हक में सही व विधिवत स्वीकृत किया गया है। विवादित आराजी से उत्तरवादी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। मृतक प्रेम व उसके द्वारा छोडी गई चल व अचल सम्पत्ति व आराजी पर उत्तरवादी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते हैं। उत्तरवादीगण मृतक की वारिस नही है। केवल अपीलार्थी ही एकमात्र वारिस है। अपील को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नही होना बताकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–12–2019 निरस्त किये जाने व दाखिल खारिज संख्या 385 दिनांक 15–4–72 बहाल किये जाने का अनुरोध किया है परन्तु अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी मूल पत्रावली में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना जिला भरतपुर द्वारा रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र में दिनांक 20–2–2019 को जो आदेश पारित किया है। इसमें अपीलाण्ट के विरूद्व अपीलाधीन निर्णय के सम्बन्ध में आईपीसी की धारा 420, 406, 407, 468, 471 व 120 बी के तहत प्रसंज्ञान लिया गया है। इस निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया है कि सरपंच करणसिंह ने रामकरण द्वारा जाहिर गलत तथ्यों के आधार पर उसके नाम दाखिल खारिज मंजूर किया है, जबकि अदालत हाजा में प्रस्तुत राजीनामा में उभयपक्षकारान द्वारा नामान्तकरण संख्या 385 दिनांक 15–4–72 को सही रूप से तस्दीक होना बताया है तथा रेस्पोडेन्ट ने भी स्वयं को मृतक की वारिस/उत्तराधिकारी होना नही बताया है जबकि माननीय सिविल न्यायालय में अपीलाण्ट के विरूद्व लम्बित आपराधिक प्रकरण में नामान्तकरण को गलत तथ्यों पर मंजूर किया जाना बताया गया है। ऐसी स्थिति में राजीनामे के आधार पर अपील को निर्णित किया जाना उचित नही मानते हैं। जहां तक वकील अपीलाण्ट द्वारा बहस में वर्णित नजीर आरआरडी 1994 पेज–134 पर प्रतिपादित उद्वरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्वान्त में पक्षकारान द्वारा न्यायालय में लिखित में राजीनामा पेश कर दिया जाता है तो न्यायालय को राजीनामे के आधार पर डिकी पारित की जानी चाहिए, से हम सादर सहमत हैं परन्तु इसी नजीर में यह सिद्वान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि प्राकृतिक पुत्री मौजूद है तो भाई के नाम नामान्तकरण तस्दीक नही किया जाना चाहिए जबकि हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में पुत्री के नाम नामान्तकरण तस्दीक नही किया जाकर भाई के पक्ष में किया गया है । अतः उक्त अपील के बहस में वर्णित तथ्य नजीर में वर्णित तथ्यों से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। इसी प्रकार आरआरडी 1993 पेज–821 पर उद्वरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्वान्त से भी हम सादर सहमत हैं परन्तु उक्त नजीर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे के सम्बन्ध में निर्णय पारित किये जाने से सम्बन्धित है व इस प्रकरण में अदालत मातहत की पत्रावली में राजीनामे के विरोधाभासी तथ्य मौजूदा होने के कारण उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्वान्त भी इस प्रकरण पर चस्पा नही होता है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय में गुंणावगुण का प्रश्न है तो अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 385 दिनांक 15–4–72 खारिज किया है तथा प्रकरण तहसीलदार बयाना को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया गया है कि वह वारिसान की गहनता से जांच कर साक्ष्य, सबूतों के आधार पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित केरें। अतः इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की अवैधानिकता नजर नही आती है। उभय पक्षकारान तहसीलदार बयाना के समक्ष अपना–अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–12–2019 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12–7–2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर